=2=

यह कि आवेदकगण एवं विपक्षी दोनों एक ही ग्राम वो थाने के रहने वाले आदिवासी सदस्य है तथा नीचे लिखा जमीन को बेचने के बाद भी आवेदकगण के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन बचती है । अन्य खाता नं0 66 एवं 65 में काफी जमीन है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि नीचे लिखा जमीन को विपक्षी नं0-1 मिलरेड टोप्पो के नाम से मो0 4,50,000/-चार लाख पचास रूपया में रजिस्ट्री बिक्री करने की अनुमति दी जाय ।

तफसील जमीन वाके मौजा गुमला रश्मिनगर वार्ड नं0-10 थाना गुमला थाना नं0-59 जिला गुमला ।

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
64	1317	0. $10\frac{1}{2}$ एकड़

जिसकीचौहदी :- उत्तर कच्चा रास्ता

दक्षिण इग्नासियुस स्कूल का घेरा

पुरब नीज बिक्रेता

पश्चिम बरदान लकड़ा ।

जमा रकबा साढ़े दस डीसमिल,

जानिब आवेदकगण

-कुर्सीनामा-

1. लंडी उरांव — भौका उरांव — गब्रेल लकड़ा — जगदम लकड़ा, डेविड लकड़ा (आवेदक गण)

2. भगत कईला उरांव — नाथेनल उरांव

जगदम लकड़ा

20/2/13

20/2/13

प्रतिलिपि कर्ता

प्रतिलिपिक

तुलना पाठक

तुलना लिपिक

CERTIFIED TO BE TRUE COPY

Date 13/6/13 Record Keeper

Mildred Toppo

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

ज्ञापांक 316 दिनांक 23.2.13
प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी गुमला को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
भू. सु. उप. समा. गुमला

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, गुमला ।

अनुमति वाद सं0- 092/2012-13

§1§ जगदम लकड़ा §पिता स्व0 गब्रेल लकड़ा जात उरांव पेशा गृहस्थी
§2§ डेविड लकड़ा §साकिन मौजा गुमला डुमरटोली थाना गुमला जिला गुमला -आवेदकगण

बनाम

1. मिलरेड टोप्पो पिता श्री अलबन टोप्पो जात उरांव पेशा नौकरी साकिन मौजा गुमला रश्मि नगर थाना वो जिला गुमला ।
2. सी0 ओ0 गुमला ।
3. हर आम वो खास मौजा गुमला रश्मिनगर थाना वो जिला गुमला।

दरखास्त हसब दफा 46
छोटानागपुर टैनेन्सी एक्ट

सविनय निवेदन यह है कि नीचे लिखा जमीन आवेदकगण का खतियानी रैयती जमीन है जिस पर आवेदकगण सरकार को मालगुजारी अदाकर शांति पूर्वक दखलकार चले आते हैं ।

हाल का सुरत है कि आवेदकगण को रुपया का सख्त जरूरी वास्ते बनाने मकान का हुआ इसलिए आवेदकगण नीचे लिखा जमीन को विपक्षी नं0-1 मिलरेड टोप्पो के साथ मो0 4,50,000/-चार लाख पचास हजार रुपया में बिक्री बेचने का बात तय करके अग्रिम के रूप में मो0 2,00,000/-दो लाख रुपया नगद ले चुके हैं ।

Advocate 20.2.13

क्र0पृ030......2

2

आवेदकगण का ब्यान उनके विद्व अधिवक्ता के खास पहचान पर अभिलिखित किया गया । अपने ब्यान में उन्होंने कहा है कि आवेदित भूमि की बिक्री वे मकान बनाने हेतु कर रहे हैं । उक्त भूमि भूदान, भूअर्जन सिलिंग, गैरमजरूआ, आम वो खास तथा वनसीमा के अंतर्गत नहीं आता है ।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी गुमला के अनुसंशायुक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि की बिक्री में छो०ना० काश्त० अधि० की धारा 46 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः उपर वर्णित जमीन उपर वर्णित विपक्षी के साथ उपर उल्लिखित मूल्य अथवा निबंधन कार्यालय के मार्ग दर्शिका मे अंकित मूल्य जो अधिक हो पर बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

प्रश्नागत अनुमति वादसे अन्य हिस्सेदार/अंशदार एवं हकदार का हक एवं अधिकार प्रभावित नहीं होगा ।

लेखीपित ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला ।

प्रतिलिपि कर्ता — प्रतिलिपिक — तुलना कर्ता — तुलना लिपिक

CERTIFIED TO BE TRUE COPY
Date 13/5/14
Record Keeper
Authorised under Section 76 Act 1 of 1872 District Record Room, GUMLA

Mihed Toppo

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला ।

अनुमति वाद सं0- 1092/2012-13

जगदम लकड़ा वगैरह . . . . आवेदकगण ।

बनाम

मिलरेड टोप्पो . . . . विपक्षी ।

आदेश
======

इस अनुमति वाद की कार्यवाही आवेदकगण 1. जगदम लकड़ा वो 2. डेविड लकड़ा पिता स्व0 गेब्रेल लकड़ा ग्राम डुमरटोली गुमला थाना गुमला जिला गुमला के आवेदन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। आवेदकगण द्वारा निम्नांकित भूमि को विपक्षी मिलरेड टोप्पो पिता श्री अलबन टोप्पो ग्राम रश्मि नगर गुमला थाना गुमला जिला गुमला के साथ मो0 4,50,000/-{चार लाख पचास-हजार}रूपये में बिक्री करने की अनुमति की मांग करते हैं ।

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
गुमला	गुमला/ 59	64	1317	0. 10½ एकड़

चौहद्दी:- उत्तर-कच्चा रास्ता, दक्षिण- इग्नासियस स्कूल का घेरा
पूरब- नीज बिक्रेता, पश्चिम- बरदान लकड़ा ।

जमा रकबा- साढ़े दस डिसमिल, 0. 10½ एकड़

आवेदकगण के आवेदन पत्र की एक प्रति अंचल अधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई,एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया । अंचल अधिकारी,गुमला का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 362/ दिनांक- 8. 4. 13 द्वारा प्राप्त है। कहीं से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। जाँच प्रतिवेदनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदकगण की खतियानी है जो उनके स्वामित्व एवं हिस्से की है, जिसपर उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद 10. 15 एकड़ जमीन शेष बचता है। आवेदकगण एवं क्रेता दोनों आदिवासी समुदाय के सदस्यहैं वो एक ही थानाके निवासी हैं ।

Milred Toppo

निबंधन विभाग, झारखंड
गुमला

Token No.4 Token Date: 19/11/2013 14:18:34
Serial/Deed No./Year :2551/2497/2013
Deed Type: Sale Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	**Jagdam Lakra** Father/Husband Name:Late Gabrail Lakra (VENDOR) Dumartoli Gumla		
2	**Devid Lakra** Father/Husband Name:Late Gabrail Lakra (VENDOR) Dumartoli Gumla		
3	**Milred Toppo** Father/Husband Name:D\O Alban Toppo (VENDEE) rashmi nagar gumla		
4	**Suresh Toppo** Father/Husband Name:Pius Toppo (Identifier) Dumartoli Gumla		

Book No.	I
Volume	86
Page	559 To 584
Deed No	2551/2497
Year	2013
Date	19/11/2013 14:39:41

Registering Officer 19/11/13

19/11/13
Signature of Operator

Milred Toppo

David Lohra
18/11/2013

अंगुठा तर्जनी मध्य अनामिका कनिष्ठ

मैं लेख्यधारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16(2)
के अधीन घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा खरीदी जानेवाली जमीन
भूहदबंदी की अधिकतम सीमा सेअधिक नही है ।

Milred Toppo
18|11|013

अंगुठा तर्जनी मध्य अनामिका कनिष्ठ

प्रमाणित किया जाता है कि यह दस्तावेज 4 पन्नों में टाईप किया
गया है जिसमें खण्डन नही है वो इस दस्तावेज के साथ ट्रेश नक्शा
संलग्न है ।

मनमोकिरान एवं मोकिर अलेहा का बाये हाथ का पांचों अंगुलियों
का छाप मेरे द्वारा लिया गया है तथा दोनों पक्षों का फोटो इस दस्तावेज
में चिपकाया गया है मेरे द्वारा प्रमाणितकिया गया है ।

मुनीन्द्र नाथ राय
18/11/13

टंकक बासुदेव उरांव कोर्ट परिसर गुमला ड्राफ्टकर्त्ता
श्री मुनीन्द्र नाथ राय दस्तावेज नवीस
कोर्ट गुमला के ड्राफ्ट से टाईप किया । 18/11/13

बासुदेव उरांव
18-11-13
टंकक

मु० नाथ राय
18/11/13
लाइ० 06/86
ड्राफ्टकर्त्ता का ह०

Milred Toppo

जगदीश लकड़ा
18-11-2013

David Lohra
18/11/2013

टोप्पो पिता जोसेफ टोप्पो
ग्राम दाउद नगर पो० गुमला
थाना गुमला जिला गुमला
18/11/2013

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs.5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

2

जायदाद :-मवाजी 0• 10½ एकड़ जमीन टांड़ हकियत कायमी रैयती वो अपना हक वो दखल वो हिस्सा अपना अन्दर खाता नं0-64 वाकेमौजा गुमला वार्ड नं0- 10 थाना गुमला थाना नं0-59 जिला गुमला जिसके मुतअलके कलक्ट्री वो डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार वो सब रजिस्ट्रार मोकाम गुमला अन्दर जमीनदारी झारखण्ड सरकार वजरिये सर्किल अफसर गुमला अंचल जमीन आवासीय योग्य खाली है ।

तफसील जमीन सय बिक्री

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
64	1317	0• 10½ एकड़
(चौसठ)	(तेरह सौ सतरह)	

चौहदी :- उत्तर कच्चा रास्ता दक्षिण इम्नासियुस स्कूल का घेरा पुरब नीज बिक्रेता पश्चिम बरदान लकड़ा ।

कुल जमा रकबा साढ़े दस डीसमिल, 0• 10½ एकड़

आगे ऊपर लिखा जायदाद के मनमोकिरान खतियानी रैयत के वारीसान है वो जमीन पर दखलकार चले आते हैं वो मनमोकिरान ऊपर लिखा जमीन को बिक्री बेचने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गुमला के यहाँ दाखिल किये जिसका नम्बर अनुमतिवाद सं0- 1092/ 2012-13 मनमोकिरान बनाम मोकिर अलेहा पड़ा वो माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गुमला ने उचित जाँच पड़ताल कर दिनांक 11•6•13 ई0 को

Milred Toppo

5000Rs.

3.

को ऊपर लिखा जमीन को मोकिर अलेहा के नाम से रजिस्ट्री बिक्री करने का आदेश दिये वो मनमोकिरान मो० 4,50,000/-चार लाख पचास हजार रूपया नगद वास्ते मकान बनाने के लिए मोकिर अलेहा से ले चुके हैं उसी रूपया को जरसमन करार देकर वाजिब वो अल्ल जरसमन के बदला में ऊपर लिखा जायदाद को आज के रोज साथ मोकिर अलेहा के बेया वो बिक्री बयला कलामी किया वो बिक्री लिख दिया चाहिए कि मोकिर अलेहा मय उनके वारीसान सय बिक्री जमीन पर बहैसियत खरीदार के दखलकार होकर वो रहकर मुनासिब इंतजाम करें वो करावे वो अपने नाम से झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में दाखिलखारीज करा कर सरकार को मालगुजारी अदा कर खास रसीद लिया करेंगे मनमोकिरान यह भी घोषित करते हैं कि उपरोक्त विवरणी की भूमिखतियान के अनुसार सरकारी नही है और न सरकार के द्वारा अधिग्रहण ही किया गया है यह भूमि खनन एवं वन सीमा सेबाहर है यह भूमि मठ मन्दिर मस्जिद गिरजा सरना तथा गुरूद्वारा का नही है यह भूमिको पूर्व में बिक्री नही किया गया है। अब मनमोकिर वो उनके वारीसानों का कोई वास्ता सरोकार हक वो दाबी सय बिक्री जमीन पर बाकी न रहा वो न आइन्दे कभी होगा इसलिए कुल रूपया वसूल पाकर ब्खुशी वो खाहिश अपने दस्तावेज बिक्री बयला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे मोकाम गुमला आज तारीख 18. 11. 13 ई0 ।

हमलोग लेख्यकारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961की धारा 16ऽ2ऽ केअधीन घोषणा करते हैं कि हमलोगों के द्वारा बिक्री कीजानेवाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा सेअधिकनही है ।

18-11-2013

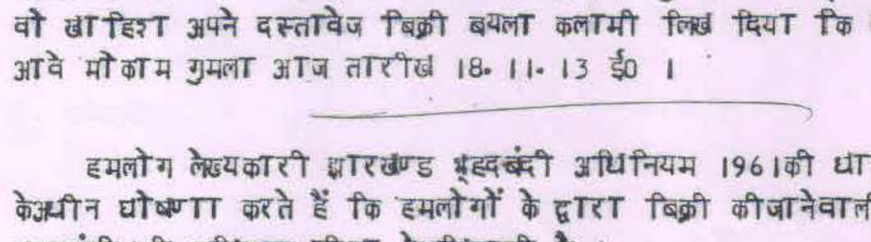

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठ

Mihrod Toppo

1099 / 19.11.13

10 000 × 1 = 10 000 = 00
5000 × 2 = 10 000 = 00
20 000 = 00

निम्नलिखित मुद्रांक गुमला कोषागार से बेचा गया।

स्टाम्प विक्रेता
गुमला कोषागार

कोषागार कार्यालय
- NOV 2013
गुमला

जगदीश लकड़ा।
18 - 11 - 2013
19 . 11 . 013

अंगुठा तर्जनी मध्य अनामिका कनिष्ठा

दिनांक 18 . 11 . 20 13 ई० का पूर्वाह्न अपराह्न में जिला अवर निबंधक कार्यालय में लेखाकारी (या लेखकारी (या) उनके मुख्तार जी सन के लिए संख्या .... के अधिन .... के पिले अवर निबंधक के द्वारा प्रमाणित हुआ है।
श्री / श्रीमति जगदीश लकड़ा
पिता / पति ....
साकिन .... जिला गुमला
पेशा .... खेती

निबंधन पदाधिकारी
18 . 11 . 13
19 . 11 . 13

जिला निबंधक कार्यालय गुमला (झारखण्ड)

Milred Toppo

255/490000/- Gumla 10 Dec Rent Stamp 10p 20,000/- 2497

03AA 396013

निबंधन पदाधिकारी

AO 14700.00
Salami 2.50
Adee 0.94
14703.44

पंजी से मिलान किया सही पाया।

18-11-13 लिपिक

18/11/13

नाम मोकिरान:- §1§ जगदम लकड़ा §2§ डेविड लकड़ा पेसरान स्व0 गब्रेल लकड़ा जात उरांव पेशा गृहस्थी साकिन मौजा गुमला डुमरटोली थाना वो जिला गुमला ।शपथ पत्र संख्या 492 + 493/-13

नाम मोकिर:- अलेहा मिलरेड टोप्पो पिता श्री अलबन टोप्पो जात उरांव पेशा नौकरी ग्राम रश्मि नगर गुमला थाना वो जिला गुमला भारतीय नागरिक हैं। शपथ पत्र संख्या- 494/-13,

किसिम वसिका:- केवाला बिक्री बयला कलामी हमेशा के लिए जिसकी सलाने मालगुजारी 10 पैसे अलावे शेष ।

तायदाद रुपया:-जरसमन मो0 4,50,000/-चार लाख पचास हजार रुपया बिक्री मूल्य वो निर्धारित बाजार मूल्य मो0 4,90,000/- चार लाख नब्बे हजार रुपया होता है ।

Mildred Toppo